भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2125

01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियनों का प्रशिक्षण

†2125. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियनों (ईएमटी) और अन्य पैरामेडिकल कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय मानक पाठ्यक्रम और प्रमाणन ढांचा मौजूद है;
(ख) यदि हाँ, तो नियामक निकायों, पाठ्यक्रम मानदंडों, प्रमाणन प्रक्रियाओं और ऐसे कर्मियों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृति आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत संस्थानों को विनियमित करने, प्रशिक्षण को मानकीकृत करने और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एक समान भर्ती प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं;
(घ) यदि हाँ, तो राज्य परिषदों की स्थापना और कार्य प्रणाली सहित इन उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और इस संबंध में राज्यों द्वारा किसी भी देरी या गैर-अनुपालन के क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या सरकार ने प्रमाणित ईएमटी/पैरामेडिक्स स्टाफ को एम्बुलेंस में तैनाती के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं और क्या देश में सार्वजनिक और निजी दोनों एम्बुलेंस सेवाओं में इन मानकों के पालन की निगरानी के लिए तंत्र मौजूद हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृति आयोग (एनसीएएचपी) का गठन शिक्षा के मानकीकरण के लिए किया गया है, जिसमें एनसीएएचपी अधिनियम, 2021 की अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा वृत्तियों के मानकीकृत पाठ्यक्रम और सेवाएँ शामिल हैं। आयोग के अंतर्गत कार्यबल-सदस्यों के साथ पेशेवर परिषद सदस्यों को एडवांस केयर पैरामेडिक और आपातकालीन चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् हेतु पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

(ग) और (घ): संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिचर्या संस्थानों की मान्यता हेतु विनियम आयोग में प्रक्रियाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिचर्या परिषद के गठन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। हालाँकि, 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एनसीएएचपी अधिनियम, 2021 के अंतर्गत संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा परिचर्या व्यवसायों के लिए अपनी संबंधित राज्य परिषद को पहले ही गठित कर लिया है।

(ङ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और एम्बुलेंस सेवाओं सहित स्वास्थ्य सेवा परिचर्या प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, कार्यान्वयन, विनियमन और गुणवत्ता प्रवर्तन राज्यों के अधीन है। इसमें एम्बुलेंस मानक, स्टाफिंग, उपकरण और अनुक्रिया समय शामिल हैं।

******